Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal Multidisciplinary 2024; 11(3); 34 - 41
Impact factor 0.9

भारत में 'एक देश एक चुनाव' की मुद्दे : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

राहुल पासवान
राजनीतिक विज्ञान विभाग
महात्मागाँधी महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा

सारांश :

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है । भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं । किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है । स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं । भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है । अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं । चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है । इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सबसे बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया । पिछले कुछ समय से एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा जोर शोर से हो रही है। एक देश एक चुनाव के पक्ष विपक्ष में विद्वत जनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अपने तर्क और दलीलें प्रस्तुत की जा रही है। एक देश एक चुनाव की मूल योजना यह है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करा लिए जाए। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुकें हैं। लेकिन देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर कुछ राजनीतिक दलों ने सहमति जताई जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती है तब तक इससे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

कुंजी शब्दः लोकतंत्र, चुनाव आयोग, नीति आयोग, लोकसभा, विधानसभा, राजनीतिक दल

प्रस्तावना :

भारत 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विविध और बहुलवादी समाज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखना चुनाव एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव के माध्यम से ही जानता अपने जन–प्रतिनिधियों को मतदान की सहायता से चुनती है। जनप्रतिनिधियों की चुनने की यह नीति इस देश में पिछले सात दशकों से चली आ रही है। निर्वाचन लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत में ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि लगभग हर 6 महीने में किसी ना किसी चुनाव का सामना देश को करना पड़ता है । अभी एक चुनाव से उबर कर विकास योजनाओं पर चर्चा शुरू होती है कि किसी ना किसी चुनाव या उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देश

Corresponding Author : राहुल पासवान
E-mail : abcrahul2019@gmail.com
Date of Acceptance : 09.07.2024
Date of Publication : 30.11. 2024

में होने वाले चुनावों का अगर हम गहराई से आंकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है। इसके कारण प्रशासनिक नीतियों के साथदृसाथ देश के खजाने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है जिसमें अनुमानत : 60 हजार करोड़ रूपये खर्च हुए तथा देश में लगभग 3 महीने तक चुनावी माहौल बना रहा। ऐसी ही स्थिति लगभग वर्ष भर देश के अलगदृअलग राज्यों में बनी रहती है। ऐसा माना जाने लगा है कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार इन परिस्थितियों से देश को निजात दिला सकता है। हालाँकि वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव वर्ष 1951–52 में एक साथ हुए थे। इसके बाद वर्ष 1957 वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में हुए तीन आम चुनावों में भी यह प्रथा जारी रही। लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया। वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार के परिणामस्वरूप लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के अलग–अलग चुनाव हुए और एक साथ चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो गई।1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक 'राष्ट्र एक चुनाव' (वन नेशन वन इलेक्शन) योजना के व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया।

शोध लेख के उद्देश्यः

'एक राष्ट्र एक चुनाव' क्या है? 'एक राष्ट्र एक चुनाव' से संबंधित भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के पक्ष और विरोध में हो रही बहस को समझना। एक राष्ट्र एक चुनाव में क्या रोड़े हैं? एवं अन्य मुद्दे इस`शोध लेख से स्पष्ट होंगे।

अनुसंधान पद्धति :

इस शोध लेख को पूर्ण करने हेतु सहायक सेकेंडरी डेटा है। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' इस विषय पर प्रकाशित समाचार पत्र, इंटरनेट, संदर्भ ग्रंथ आदि से प्रकाशित साहित्य के आधार पर यह शोध लेख आधारित है।

एक राष्ट्र एक चुनाव :

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार देश में चुनाव अवधि को कम करने के लिए लोकसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदशों के विधानसभाओं के चुनावों को एक ही समय पर कराना है। यानी कि यह सभी चुनाव 5 साल में एक ही बार हो या यूं कहे की दे देश को मध्यावती चुनाव और हमे देशा होने वाले से मुक्त करना।

एक राष्ट्र एक चुनाव की पष्ठभूमिः

भारत में एक देश एक चुनाव का विचार पूर्णता नया है, ऐसा अगर आप सोचते है तो वह गलत है। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है क्योंकि संविधान के गठन के साथ ही 1952] 1957]1962]1967 में ऐसा हो चुका है । जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ करवाए गए थे। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 (संवैधानिक तंत्र की विफलता को) लागू वर्ष 1967 तक इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभाओं और विधानसभाओं के बार–बार भंग होने के कारण यह

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal Impact factor 0.9 2024; 11(3); 34 - 41

अभ्यास धीरे–धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। राजनीतिक स्वार्थ वाद नेतृत्व वाद विरोधियों का खात्मा विरोधियों का खात्मा करने के राजनीति का उदय आदि के कारण देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को खंडित कर निरंतर चुनाव या मध्यावती चुनाव को अपनाया गया। जिससे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कवायदो में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1983 में चुनाव आयोग ने 'एक देश एक चुनाव' की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की आवष्यकता प्रस्तावित की थी। लेकिन सरकार ने उस प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया था। 1995 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को उठाया था। उनका विचार था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनावों को एक साथ कराया जाए जैसा कि 1967 के पहले होता रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। विधि आयोग की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया जाता रहा है। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के आम चुनावों को एक साथ करने की बात कही गई थी,जिसमें इससे संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख था। इसके बाद दिसंबर 2015 में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि आयोग एवं न्याय मामलों की संसदीय समिति ने 'एक देश एक चुनाव' विषय को लेकर सिफारिश पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं, तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं जो देश के विकास को गति प्रदान में काम आ सकते हैं। स्पष्ट है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके है तो अब करवाने में क्या समस्या हो सकती है?

एक साथ चुनावों को लागू करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता:

- राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का लोकसभा के साथ समन्वित करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया और बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 83 जो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, में संशोधन की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 85 यह राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन मे संशोधन की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 172 इसमें कहा गया है कि इसमें विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा।
- अनुच्छेद 174 यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।
- लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 में संशोधन करना होगा।
- सदन की सदस्यों की अयोग्यता के बारे में 10 वी अनुसूची में संशोधन करना होगा।

'एक राष्ट्र एक चुनाव' से संबंधित जांच समिति : लोक सभा राज्यों की विधानसभा के चुनाव एकसाथ कराने की संभावनाएँ तलाशने तथा जरूरी सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार 1 सितंबर को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों की गठन कर दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चूके गुलाम नबी आजाद और वित्त

आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह को शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वे और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी भी शामिल है। इस तरह यह संसद की स्थाई समिति, विधि आयोग और नीति आयोग के बाद चौथी समिति होगी जो इस पर विचार करेगी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया गया है। यह समिति तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू करेगी। अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल इस समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि विधि मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। समिति को जो कार्य दायित्व सौंपा गया है, उसके मुताबिक वह उन सभी संवैधानिक प्रविधानों को परखेंगी जिन्हें एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही समिति को जन प्रतिनिधित्व कानून के साथ ऐसे अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी निगाह डालनी होगी जिनमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिवर्तन करना होगा। समिति इन सभी पहलुओं पर विचार करने की अपनी सिफारिशें सौंपेगी। अधिसूचना के मुताबिक समिति इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता का भी परीक्षण करके अपने सुझाव देंगे।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क :

1- **सार्वजनिक धन की बचतः** एक साथ चुनाव कराने से चुनाव की लागत कॉफी कम हो जाएगी, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च कई बार की बजाए 5 साल में एक बार किया जाएगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ चुनाव से भारतीय चुनाव आयोग के लिए 45 हजार करोड़ रुपये, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए 30 करोड़ रुपये की बचत होगी। 2019 में सत्रहवीं लोक सभा बस चुनाव को भारत के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे महंगा चुनाव बताया गया है जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों और निर्वाचन आयोग दोनों की ओर से कुल मिलाकर करीब 70000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सार्वजनिक धन और संसाधन अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए मुक्त हो जाएंगे।

2- **विकास कार्यों में निरंतरता और शासन दक्षताः** देश में हर वर्ष कम से कम चार – पांच राज्यों में चुनाव होते हैं। एक साथ चुनाव से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीति की निरंतरता और शासन अध्यक्षता को भी सुनिश्चित करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग को बार – बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, जिससे सरकार को बिना किसी बाधा के नई परियोजनाओं की अनुमति मिल जाएगी। इससे सरकार की नीतियों और कार्यकर्मो की निरंतरता बढ़ेगी। सरकार चुनावी राजनीति के बजाय शासन और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी। बस चुनाव प्रक्रिया के दौरान विकास कार्यों का विरोध होना और चलते विकास कार्यों का रुक जाना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है।

3- **चुनाव और सरकारी मशीनरीः** देश और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारी मात्रा मैं सरकारी कर्मचारियों प्रशासनिक तंत्र पुलिस एवं सुरक्षाबलों की सेवाएं निर्वाचन विभाग द्वारा ली जाती है। इन कर्मचारियों में शिक्षकों

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal Impact factor 0.9 2024; 11(3); 34 - 41

और पुलिस प्रशासन की संख्या सर्वाधिक होती है। 'एक देश एक चुनाव' को अपनाए जाने से सरकारी मशीनरी को बार– बार चुनाव ड्यूटी पर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। शासन और सेवा के अपने सामान्य कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। सुरक्षा बल हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता और अलगाव वाद जैसी विभिन्न चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे।

4- **भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगामः** चुनाव में इस्तेमाल होने वाला काला धन देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का मूल्य कारण है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा कालेधन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक दल कला धन लेकर चुनाव लड़ते हैं पर जाये चुनकर संसद या विधानसभा में पहुंचते हैं उनके द्वारा चुनाव में आर्थिक सहायता देने वाले उद्योग घरानों को अनुचित फायदा पहुंचाया जाता है। एक साथ चुनाव से भारत में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कम धन की आवश्यकता होगी, जिससे धन की अवैध या संदिग्ध स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे राजनेताओं, व्यापारियों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ टूट जाएगा जो विभिन्न घोटाले और कदाचार में लिप्त है। एक साथ चुनाव होने से बूथ कैप्चरिंग, धांधली, धमकी, रिश्वतखोरी या हिंसा जैसी चुनावी धोखाधड़ी की संभावना कम हो जायेगी।

5- **जनप्रतिनिधियों अपने दायित्वों की उचित उपयोग करनाः** चुनाव के दौरान केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्री, सांसदों और विधायक, चुनाव कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे सरकारी कार्य विकास योजनाएं बाधित होती है। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ अर्थात् 'एक देश एक चुनाव' के साथ हो जाएंगे तो बाकी समय में जन प्रतिनिधि अपने कार्य क्षमताओं का उपयोग विकास योजनाओं में कर पाएंगे जिससे आम नागरिकों को लाभ है।

6- **राजनीति के ध्रुवीकरण और लोक लुभावन में कमीः**

चुनावों के दौरान देखा गया है कि वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त या सब्सिडी देने का वादा करते है। धर्म जाति और संप्रदाय के आधार पर चुनाव प्रचार करते हैं। आम लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके सांप्रदायिक माहौल की भावना पैदा कर दिया जाता है। वोट बैंक बनाए रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा धार्मिक और जाति ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ चुनाव से राजनीति के ध्रुवीकरण और लोक लुभावन को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ–साथ जाति, धर्म, भाषा या जातीयता जैसे विभिन्न समुदायों के बीच खाई को पाट देंगे। इससे राजनीति में सांप्रदायिकता सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगी।

7- **नागरिकों के जन जीवन पर प्रभाव में कमी:**

देश में बार बार होने वाले चुनाव से आम जन जीवन भी प्रभावित होता है। चुनावी रैलियों के दौरान कानून व्यवस्था के कारण यातायात अक्सर बाधित हो जाता है। सम्पूर्ण प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था में तैनात कर दिया जाता है। जिसके कारण आम जनता को अपने कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक देष एक चुनाव के विचार को अपनाये जाने से आम जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

एक देश एक चुनाव के विरूद्ध तक :

1- संवैधानिक और कानूनी बाधाएँ: एक साथ चुनाव लागू करने के लिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता हो सकती है जो एक लंबी और विवादास्पद प्रक्रिया हो सकती है। इस तरह के बड़े बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न स्थितियों और प्रावधानों पर व्यापक तौर पर विचार करने की आवश्यकता होगी, बल्कि ऐसे बदलाव भविष्य में किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन के लिए एक चिंताजनक मिसाल भी साबित हो सकते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण एक बार का चुनाव लगभग असंभव लगता है। मान लीजिए कि चुनाव एक साथ कराए जाएं लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सभी राज्यों और केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। यह भी संभव है कि कुछ दल गठबंधन सरकार बनाएं जो 5 वर्ष से पहले कभी भी गिर सकती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में दोबारा चुनाव होने की संभावना बनी सकती है।

2- **मशीनरी और संसाधनों की आवश्यकता:** जैसा की हम सभी जानते है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विशाल आबादी वाले देश में चुनाव कराने के लिए व्यापक साजो सामान और संसाधनों की आवश्यकता होगी। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराना कठिन काम होगा। सुरक्षा बलों और प्रशासनिक मशीनरी पर भारी दवाब पड़ेगा। देश के हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), प्रशिक्षित कर्मियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता करना एक कठिन काम होगा। विधि आयोग के मुताबिक अगर देश में एक साथ चुनाव होता तो चुनाव आयोग को नई ईवीएम पर 45 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)) और वोटर वेरीफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की आवश्यकता होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी। चुनाव के लिए मशीनों को एकत्र करने हेतु भंडारण लागत में वृद्धि होगी।

3- **संघवाद के विरुद्ध:** 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार संघवाद की अवधारणा से

सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है जो कि अनुच्छेद–1 द्वारा भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित विचार का खंडन करता है। एक साथ चुनाव को लागू करना लगभग असंभव है क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधान सभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिए उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। हमारे देश की संरचना संघीय है। हर राज्य की अपनी अलग स्थिति और समस्याएँ होती हैं। जो किसी न किसी तरह से हमारे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। जो राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करेगा।

4- **क्षेत्रीय दल और मुद्देः** क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा न केवल उनकी पहचान के लिए संकट गंभीर पैदा हो सकता है अपितु उनके क्षेत्रीय संसाधन भी सीमित हो सकते क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय मतदाताओं से गहराई से जुड़े होते हैं। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को लक्ष्य बनाते हैं जबकि राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों को लक्ष्य बनाते हैं ऐसे में संभावना है कि क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। हर राज्य की अपनी अलग–अलग स्थिति और समस्याएँ होती हैं। ऐसे में अगर चुनाव साथ – साथ हो जाए तो राजनीतिक विमर्ष से राज्यों के स्थानीय मुद्दे गायब हो जाएंगे। राजनीतिक विमर्श केवल राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द–गिर्द घूमता रहेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दे और दलों को भारी नुकसान पहुंचाएगा।

5 - **जवाबदेही में कमीः** हर 5 साल में एक से अधिक वार मतदाताओं का सामना करने से राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है और वे सक्रिय रहते हैं। नियमित चुनाव का मतलब है कि सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य है ऐसा न हो कि वह एक या दूसरे राज्य में चुनाव हार जाए। अन्यथा चुनाव के दौरान बहुत सारी नौकरियां भी पैदा होती है जिससे जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष :

एक देश एक चुनाव के विचार की चर्चा की जड़ में मुख्य मुद्दा चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाला चुनावी खर्च और विकास कार्यों में पैदा होने वाली बाधा को माना जा रहा है। लेकिन यदि गहराई से इस विषय पर मंथन किया जाए तो चुनावी खर्च और विकास कार्यों में पैदा होने वाली बाधा का समाधान एक देश एक चुनाव के विचार को अपनाने में निहित नहीं है। एक देश एक चुनाव का विचार न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था अपितु भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यकरण के लिए व्यावहारिक नहीं है। लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य हैं और चुनाव प्रक्रिया का संपादन बिना धन खर्च किए संभव नहीं है। चुनाव के दौरान होने वाला खर्च एक सीमा तक अनिवार्य होता है लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब भ्रष्ट और

अनैतिक साधन अपनाकर अनावश्यक धन खर्च किया जाता है। चुनाव के दौरान होने वाला खर्च को रोकने के लिए कड़े दंडात्मक कानूनी प्रावधान और उनका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया जो प्रायः नैतिकता से रहित हो गई है उसमें नैतिक मूल्यों की स्थापना अनिवार्य है। देखा जाए तो समस्या की जड़ देश की राजनीतिक और प्रशसनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनैतिकता है। एक देश एक चुनाव के विचार को अपनाने के बाद भी यदि राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार और अनैतिकता व्याप्त है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस विचार को अपनाने के बाद जिन लाभों की अपेक्षा की जा रही है वह वास्तव में प्राप्त हो जाएँ। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से बहुत से चुनाव सुधारों को आज तक लागू नहीं किया जा सका है जिसकी वजह से ने केवल चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक धन खर्च होता है अपितु भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान में और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र और संघवाद। के मूल सिद्धांतों को चोट न पहुंचे।

संदर्भ सूची :

1. विजय राय – बड़ी चुनौती के फायदे भी हैं बड़े दृ संपादकीय, राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली– सितम्बर 3, 2023
2. विषेश आलेख – एक साथ चुनावों दैनिक बढ़ता राजस्थान – सितम्बर 3, 2023
3. विजय दर्डा, (संपादकः लोकमत समूह) – एक साथ चुनाव पर विरोध के स्वर क्यों? संपादकीय पंजाब केसरी, दिल्ली दृ सितम्बर 5, 2023
4. अवधेष कुमार – आसान नहीं सहमति दृ संपादकीय – राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली सितम्बर 5, 2023
5. रत्नाकर बाबुराव लक्षटे – एक राष्ट्र एक चुनाव – 2020